न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, सहारनपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या–**224/2026**

कालू बनाम **गुलफाम उर्फ गुल्लू आदि**

थाना–**तीतरों**

जनपद–**सहारनपुर।**

दिनांक–**29.06.2026**

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना गया।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि " प्रार्थी एक सीधा–सादा अमन पसंद व्यक्ति है तथा प्रार्थी कपड़े का व्यापारी है। विपक्षीगण पिछली करीब चार सालों से प्रार्थी से कपड़ा उधार लेते रहते चले आ रहे हैं और विपक्षीगण की ओर कपड़े की उधारी का मु0 3,50,000/– रूपये विपक्षी नं0 1. गुलफाम उर्फ गुल्लू की ओर व 1,10,000/– रूपये विपक्षी नं0 2 चांद मियां उर्फ चांद की तरफ वाजिब चले आ रहे हैं जिन्हें विपक्षीगण बार–बार मांगने पर भी अदा नहीं कर रहे हैं। आज दिनांक 30.03.2026 को विपक्षीगण ने प्रार्थी को पैसे देने के बहाने बुलाया तब समय करीब 02 बजे दोपहर प्रार्थी विपक्षीगण के पास गया तो विपक्षीगण ने प्रार्थी को देखते ही मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देते हुए कहा कि साले बहनचोद आज तेरा हिसाब फाईनल कर देते हैं कहकर विपक्षी नं0 1 ने प्रार्थी की कनपटी पर तमन्चा लगा दिया और विपक्षी नं0 2 ने अपने सुडडे से छुरी निकालकर प्रार्थी के पेट पर लगा दी और कहा साले तू हमें बहुत बदनाम करता फिरता है आज तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे और प्रार्थी को धक्का–मुक्की करते हुए उसकी जेब से 12,000/– रूपये जबरदस्ती निकाल लिये और धमकी दी कि बहनचोद यदि आज के बाद पैसे मांगे या कोई कार्यवाही की तो तुझे जान से मारकर तेरी लाश का भी पता चलने नहीं देंग। प्रार्थी के शोर मचाने पर काफी व्यक्ति रास्ता चलते आ गये, परन्तु इनके डर से कोई नहीं बोला। प्रार्थी किसी तरह जान बचाकर निकला और वाकात की सूचना थाने पर दी, परन्तु थाने वालों ने गम्भीर मामला कहकर उपर से आदेश कराकर लाने को कहा जिस कारण वाकात का प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर को बजरिये रजिस्टरी डाक दिया जिसकी प्रति व रसीद रजिस्टरी हमरिश्ता है।" अतः विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र की छायाप्रति तथा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति आदि प्रपत्र दाखिल किये हैं।

4. उक्त प्रकरण के संबंध में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि मामलें के समस्त तथ्यों की जानकारी प्रार्थी को है तथा साक्षी भी परिचित हैं एवं वह साक्ष्य कराने में सक्षम है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसकी विवेचना कराया जाना आवश्यक हो। ***माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित विनिर्णय सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 472*** *में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों एवं प्रस्तुत मामलें के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए*

प्रार्थना–पत्र परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है। तद्नुसार प्रार्थना–पत्र परिवाद के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

1. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तद्नुसार परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।
2. फौजदारी लिपिक नियमानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
3. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही परिवाद की पत्रावली में शामिल मिशल हो।
4. पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 11.08.2026 को पेश हो।

(मेहा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय
सहारनपुर।
JO CODE : UP 3708

Digitally signed by MEHA
Date: 2026.06.29 13:17:43 GMT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court